राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या–2052,व 2053 / 2013.................जिला...........भरतपुर..

उनवान – मैसर्स राम इण्डस्ट्रीज़, भरतपुर बनाम् वा.क.अ. वृत्त–प्रतिकरापवंचन भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2014	**<u>खण्डपीठ</u>** **<u>श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य</u>** **<u>श्री मदन लाल, सदस्य</u>** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक **<u>28.10.2013,</u>** जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित **पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 16.07.2013** जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष **2008–09 व 2009–10** के लिये पारित किये गया हैं में कायम मांग राशियों के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान ब्याज व शास्ति की मांग राशियां क्रमशः **₹8,31,385/– ₹1,35,344/– व ₹46,18,810/–, ₹14,24,678/–** पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री डी.कुमार एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री वैभव कासलीवाल बहस हेतु दिनांक 13.01.2014 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस वसूली स्थगन पर सुनी जाकर अपील पर निर्णय पारित किया जा रहा है । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि उक्त अस्पष्ट आदेश (Non-speaking) की श्रेणी में आते हैं। इस संबंध में अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा ब्याज की मांग राशि जमा करवाये जाने की शर्त पर दोनों प्रकरणों में शास्ति की वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। कथन किया कि उक्त शर्त विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अधिनियम के तहत् अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने के तहत् शर्ताधीन है एवम् इसमें अन्य राशि जमा कराने की शर्त शामिल नहीं की जा सकती। अतः उक्त आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि कथित **<u>अन्तरिम प्रतिसत्यापन जांच</u>**, जो पश्चिम बंगाल राज्य के व्यवहारियों से की गयी है, वह पूर्णतः अधूरी व अविश्वसनीय एवम् रिकॉर्ड के तथ्यों के विपरीत है। पश्चिम बंगाल व झारखण्ड के अधिकारियों द्वारा विभागीय प्रतिसत्यापन जांच में केवल घोषणा प्ररूप "सी" किन्हीं व्यवहारियों को जारी नहीं करना प्रकट किया गया है जबकि इस संबंध में पूर्ण सूचना चाही गयी थी, है परन्तु अग्रिम जांच नहीं कर, लगातार..................2	

20.01.2014

पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों द्वारा निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिससे यह प्रकट होता है कि घोषणा प्ररूप "सी" "मिथ्या" अथवा "कूटरचित" नहीं है । अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रोद्धरित कियेः–

1. मैसर्स सास्था एन्टरप्राईजेज़ बनाम् अपीलीय अधिकारी, कमिश्नर (सीटी) II (एफएसी), चेन्नई एण्ड अनॉदर (2011) 37 वी.एस.टी. 94

2. स्टेट ऑफ मद्रास बनाम् मैसर्स रेडियो इलैक्ट्रिकल्स लि., (1966) 18 एस.टी.सी. 222 (सु.को.)

3. 4. मै0 एग्फागवर्ट इण्डिया लि. बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु, (2001) 123 एस.टी.सी. 108 (मद्रास)

4. मै0 खेतावत इण्डस्ट्रीज़, भीनमाल बनाम् सहायक आयुक्त, जालौर 5 टैक्स अपडेट 262 (एस.बी. आर.टी.बी.)

5. वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम् मै0 चोपड़ा केमिकल्स, जोधपुर 2 टैक्स अपडेट 274 (डी.बी. आर.टी.बी.)

अतः उपर्युक्त वर्णित आधारों पर प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण विवादित ब्याज व शास्ति की मांग राशियां कमशः **₹8,31,385/– ₹1,35,344/– व ₹46,18,810/–, ₹14,24,678/–** की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विवादित कर की मांग राशियां जमा करा दी गयी हैं ।

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा हस्तगत दोनों अपील प्रकरणों में अधिकतम राहत प्रदान कर दी गयी है । अतः वसूली पर रोक प्रार्थना पत्रों अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन एवम् पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात् यह पीठ इस नतीजे पर पहुॅची है कि चूंकि हस्तगत अपील प्रकरणों में घोषणा प्ररूप "सी" के मिथ्या एवम् फर्जी होने अथवा नहीं होने का महत्वपूर्ण बिन्दु अन्तवर्लित है । अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में आंशिक रूप से होना प्रतीत होता है । अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम मांग रूंपये में से विवादित शास्ति की मांग राशियां **₹46,18,810/–, ₹14,24,678/–** की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में दो मोतबर जमानत नियमानुसार प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। शेष मांग राशि वसूली योग्य है एवम् रोक आदेश की पालना नहीं करने की दशा में उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर अपील का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उपर्युक्तानुसार अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

आदेश सुनाया गया।

(मदन लाल) 20/1/2014
सदस्य

(के.आर.लोहिया)
20/01/14 **सदस्य**